कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी (राज.)

क्रमांक : सामान्य/लीगल/2024/ 921   दिनांक : 10/06/24

श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषय – माननीय न्यायालय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर, राजस्थान के अपीलीय आदेश दिनांक 05.04.2024 की अनुपालना में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढ़ाचंद्रजी के पद के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने पर मार्गदर्शन भिजवाने बाबत्।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक/सामान्य/लीगल/2024/ 519 दिनांक 12.04.2024 एवं पत्रांक/सामान्य/लीगल/2024/590 दिनांक 25.04.2024

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सिविल सेवा अधिकरण, राजस्थान, जयपुर में दायर अपील संख्या 29/24 डॉ. राजेश मीना बनाम अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी एवं अन्य के संबंध में माननीय सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 14 दिनांक 06.01.2024 पर स्थगन आदेश दिनांक 08.01.2024 जारी किया गया। उक्त स्थगन आदेश को पुनः माननीय न्यायालय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर, राजस्थान द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.04.2024 द्वारा समाप्त किया गया।

उक्त के संबंध में श्रीमान जी से उक्त प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्रो द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था।

उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता, लोकसभा चुनाव 2024 कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) करौली द्वारा डॉ. जगराम मीना, (क. वि. दन्त), चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ाचंद्रजी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबध में कारण बताओ नोटिस (क्रमांक 579–83 दिनांक 18.04.2024) जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने के अभाव में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी कार्यालय एवं अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को विगत 2से 03 माह का संवेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है । अतः श्रीमानजी से पुनः निवेदन है कि प्रकरण में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संपादित किया जाना संभव हो सके।

संलग्नः–

1.प्रासंगिक पत्रांक 519 एंव 590 की प्रतियॉ

2.श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी करौली के नोटिस कमांक 579–83 दिनांक 18.04.24 की प्रति ।

(डॉ. बत्तीलाल मीना)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

क्रमांक : सामान्य/लीगल/2024/   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये परिक्षेत्र भरतपुर ।

2.श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, गंगापुर सिटी/करौली।

3.प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता, लोकसभा चुनाव 2024, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर)करौली।

4.खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढ़ाचंद्रजी, जिला गंगापुर सिटी।

5.चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ाचंद्रजी,/कैमरी जिला गंगापुर सिटी।

6.आदेश/रक्षित पत्रावली।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
गंगापुर सिटी (राज.)

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified
Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगापुरसिटी (राज0)

क्रमांक : सामान्य/लीगल/2024/519 दिनांक : 12.4.24

श्रीमान निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर ।

विषय – माननीय न्यायालय सिविल सेवा अपील अधिकरण राज0जयपुर के अपीलीय आदेश दिनांक 05.04.24 की अनुपालना में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी के पद के अति0कार्यभार ग्रहण करने पर मार्गनिर्देशन भिजवाने बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर में दायर अपील संख्या 29/24 डॉ. राजेश मीना बनाम अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी एवं अन्य के सम्बन्ध में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 14 दिनांक 06.01.24 पर स्थगन आदेश दिनांक 08.01.2024 जारी किया गया । तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन आदेश को न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.24 द्वारा समाप्त किया गया है । माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में डा0जगराम मीना चि0अ0 (दन्त) ने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी पर दिनांक 06.04.24 को अतिरिक्त कार्यभार हेतु कार्यग्रहण कर लिया है ।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 05.04.2024 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि लोकसभा चुनाव 2024 के कारण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है । अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आचार संहिता के दौरान कार्यग्रहण किया जाना उचित है अथवा नहीं मार्गनिर्देशन प्रदान करने की कृपा करावे ।

संलग्नः–1. मान0 न्याया0 सिविल सेवा अपील अधि0 राज0जयपुर के स्थगन आदेश दि0 08.01.2024 की प्रति।
2. मान0 न्याया0 सिविल सेवा अपील अधि0 राज0जयपुर के स्थगन आदेश के समाप्ति आदेश दि0 05.04.2024 की प्रति।

(डॉ. बत्तीलाल मीना)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

क्रमांक : सामान्य/लीगल/2024/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी/ करौली।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0सेवायें जोन– भरतपुर।
3. कार्यालय प्रति ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified

Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी (राज.)

क्रमांक : सामान्य/लीगल/2024/590 दिनांक : 25/4/24

श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषय – माननीय न्यायालय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर, राजस्थान के अपीलीय आदेश दिनांक 05.04.2024 की अनुपालना में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढ़ाचंद्रजी के पद के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने पर मार्गदर्शन भिजवाने बाबत्।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक 519 दिनांक 12.04.2024

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सिविल सेवा अधिकरण, राजस्थान, जयपुर में दायर अपील संख्या 29/24 डॉ. राजेश मीना बनाम अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी एवं अन्य के संबंध में माननीय सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 14 दिनांक 06.01.2024 पर स्थगन आदेश दिनांक 08.01.2024 जारी किया गया। उक्त स्थगन आदेश को पुनः माननीय न्यायालय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर, राजस्थान द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.04.2024 द्वारा समाप्त किया गया।

उक्त के संबंध में श्रीमान जी से उक्त प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्र द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था।

उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता, लोकसभा चुनाव 2024 कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) करौली द्वारा डॉ. जगराम मीना, (क. वि. दन्त), चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ाचंद्रजी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबध में कारण बताओ नोटिस (क्रमांक 579–83 दिनांक 18.04.2024) जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान कराने का श्रम करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संपादित किया जाना संभव हो सके।

डॉ. बत्तीलाल मीना
(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)
गंगापुर सिटी (राज.)

RajKaj Ref
6742548

Signature valid
Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And
Health Officer
Date: 2024.04...
Reason: Approved

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified
Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And
Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

क्रमांक : सामान्य / लीगल / 2024 / 590 दिनांक : 25.4.24

24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, गंगापुर सिटी / करौली।
2. प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता, लोकसभा चुनाव 2024, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) करौली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढ़ाचंद्रजी, जिला गंगापुर सिटी।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ाचंद्रजी, जिला गंगापुर सिटी।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)
गंगापुर सिटी (राज.)

RajKaj Ref
6742543

Signature valid
Digitally signed by Meena
Designation: Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.04.25 1: 10 IST

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified
Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation: Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

लोकसभा चुनाव 2024

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) करौली

क्रमांकः– लो.स.चुनाव/एमसीसी/2024/579-83 दिनांकः– 18/4/24

श्री डॉ. जोगराम मीना
क0वि0(दन्त)चि0अ0प्र0
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढाचन्द्रजी
द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गंगापुर सिटी।

कारण बताओ नोटिस

यह है कि लोकसभा आमचुनाव 2024 अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान दिनांक 06.4.2024 को दोपहर पूर्व बीसीएमओ गुढाचन्द्रजी के पद पर बिना सक्षम अनुमति के कार्यभार ग्रहण किया गया। जबकि निर्वाचन प्रकिया अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान विभागीय प्रशासनिक माध्यम से निर्वाचन विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार आप द्वारा बिना सक्षम अनुमति कार्यग्रहण कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है जो कि दुराचरण की श्रेणी में आता है। अतः क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे, नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 03 योम में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

(प्रीती चक)RAS
प्रभारी अधिकारी
आदर्श आचार संहिता
लोकसभा चुनाव 2024

क्रमांकः– लो.स.चुनाव/एमसीसी/2024/579-83 दिनांकः– 18/4/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), करौली।
2. श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), गंगापुर सिटी।
3. सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) टोडाभीम।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगापुर सिटी।
   bcmo_ggc@rediffmail.com

प्रभारी अधिकारी
आदर्श आचार संहिता
लोकसभा चुनाव 2024

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified
Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुर सिटी (राज.)

क्रमांक : संस्थापन / राजपत्रित / / 2024 / 561 दिनांक : 19/04/24 18/04/24

डा0जगराम मीना
क0वि0(दन्त)चि0अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढाचन्द्रजी
द्वारा–खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी
जिला–गंगापुरसिटी ।

विषय –कारण बताओ नोटिस ।

प्रसंग:–श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)करौली के पत्रांक / लो.स.चुनाव / एमसीसी / 2024 / 579–83 दिनांक 18.04.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)करौली के पत्रांक / लो.स. चुनाव / एमसीसी / 2024 / 579–83 दिनांक 18.04.2024 द्वारा अवगत कराया है कि आप द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रभावित आदर्श आचार संहिता के दौरान आप द्वारा विना विभागीय प्रशासनिक माध्यम से निर्वाचन विभाग की अनुमति के दिनांक 06.04.24 को बीसीएमओ गुढाचन्द्रजी के पद पर कार्यग्रहण किया गया है । जो कि आदर्श आचार संहिता का उलघंन है ।

अतः श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी करौली के प्रासंगिक पत्रांक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भिजवाई जा रही है । नोटिस का जवाब तीन दिवस में श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी करौली को व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।

संलग्न:–प्रासंगिक पत्रांक द्वारा जारी नोटिस की प्रति ।

(डॉ. बत्तीलाल मीना)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

क्रमांक : संस्थापन / राजपत्रित / / 2024 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी करौली / गंगापुरसिटी ।
2. श्रीमान सहायक रिटर्निग अधिकारी(एसडीएम)टोडाभीम ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी को देकर लेख है कि संलग्न नोटिस को आज ही सम्बन्धित चिकित्सक को तामील कराकर प्राप्ति रसीद श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी करौली की मेल आईडी (dm-kar-rj@gmail.com) एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को(cmhogangapurcity@gmail.com) पर कार्यालय छोड़ने से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करावे ।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढाचन्द्रजी ।
5. कार्यालय प्रति ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified

Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,गुढाचन्द्रजी

क्रमांक/संस्था/2024/144 दिनांक 18/05/24

डॉ. जगराम मीना
क.वि.(दन्त) चि.अ.प्र.
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढाचन्द्रजी

विषयः– कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति रसीद भिजवाने बाबत्।
प्रसंगः– श्रीमान् सी.एम.एच.ओ. गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक संस्थापन/राजपत्रित/2024/ 561 दिनांक 18.04.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के पत्रांक / लो.स.चुनाव/एम.सी.सी/2024/579 –583 दिनांक 18.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि आपके द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रभावी आदर्श अचार संहिता के दौरान आप द्वारा बिना विभागीय प्रशासनिक माध्यम से निर्वाचन विभाग की अनुमति के दिनांक 06.04.2024 को बी.सी. एम.ओ. के पद पर कार्यग्रहण किया गया है। जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक पत्रांक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपके कार्यालय में भिजवायी जा रही है।

श्रीमान् जी नोटिस का जबाब तीन दिवस में श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी करौली को व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे साथ ही पत्र की प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करे।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गुढाचन्द्रजी

क्रमांक/संस्था/2024 दिनांक 18/05/24

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी,करौली/गंगापुर सिटी
2. श्रीमान् सहायक रिर्टनिंग अधिकारी/ एस.डी.एम.टोडाभीम/नादौती
3. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगापुर सिटी/करौली
4. रक्षित पत्रावली

→ तवाई →
उप्पलकीन्त नर्सिंग ऑफिसर
6376694424 CHC गुढा

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गुढाचन्द्रजी

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified

Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,गुढाचन्द्रजी

क्रमांक/संस्था/2024/146 दिनांक 19/04/24

1.श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर),करौली

2.श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,गंगापुर सिटी

विषयः– नोटिस की तामील करवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके पत्रांक/लो.स.चुनाव/एम.सी.सी/2024/579 –583 दिनांक 18.04.2024 द्वारा डॉ. जगराम मीना को आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामील का नोटिस डॉ. जगराम मीना को व्यक्तिशः दिया था, लेकिन उन्होनें व्यक्तिशः लेने से मना कर दिया। जिसके कारण उनको जरिये ई–मेल, जरिये व्हाट्सअप एवं उनके कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया गया है।

सूचना श्रीमान्जी को आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गुढाचन्द्रजी

RajKaj Ref
7952555

Signature Not Verified

Digitally signed by Batti Lal Meena
Designation : Chief Medical And Health Officer
Date: 2024.06.11 14:05:23 IST
Reason: Approved

CamScanner